न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही

(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

रमेश कुमार पुत्र श्री भीमाराम, जाति-मेघवाल, निवासी- दक्षिणी मेघवालवास, सिरोही, तहसील व जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 20/2019

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार पुरी, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 13 दिसम्बर, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या: 61/2019 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 26.9.2019 बाबत ग्राम सिरोही, पटवार हल्का सिरोही-द्वितीय के खसरा संख्या 3384 रकबा 0.0400 हेक्टेयर किस्म गै.मु. कातरा भूमि का अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी घोषित करने हुए मौके से बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करने एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवदित भूमि का पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए मौके से बेदखल करने व सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित करने में कानूनन भूल की गई है। यह कि विवादित पर अपीलार्थी ने कोई अतिक्रमण/कब्जा नही किया है तथा न ही मौके पर अपीलार्थी का कोई कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नोटिस भी नही दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि अपीलार्थी को विवादित भूमि के मौके से पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखल करने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है, फिर भी अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर सिविल कारावास की सजा दी गई है जो विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.9.2019 को अपीलार्थी ने उपस्थित होकर जवाब पेश करने हेतु समय चाहा था

....पेज दो पर

लेकिन उसके बाद की आगामी तारीख पेशी पर अपीलार्थी अपने निजी कार्य के कारण अधीनस्थ न्यायलय में उपस्थित नही हो सका तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी की अनुपस्थिति में ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अत: अपीलार्थी की अपील को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध सिविल कारावास की सजा के पारित आदेश को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस में यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, सिरोही-द्वितीय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचार करने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया तथा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच नियमानुसार आदेश पारित किया गया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाये।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि हल्का पटवारी, सिरोही-II द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2076 में ग्राम सिरोही के खसरा संख्या 3384 रकबा 0.0400 हेक्टेयर किस्म गै.मु. कातरा राजकीय बिलानाम भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर कब्जा व निर्माण करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि 13.9.2019 को अपीलार्थी उपस्थित हुआ एवं जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा, परन्तु उसके आगे की नियत सुनवाई तिथि पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी उपस्थित नही हुआ एवं न ही अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में लिखित जवाब प्रस्तुत हुआ। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलार्थी का विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना स्पष्ट होता है, लेकिन अपीलार्थी पक्ष का यह तर्क है कि विवादित पर अपीलार्थी ने कोई अतिक्रमण/कब्जा नही किया है तथा न ही मौके पर अपीलार्थी का कोई कब्जा है।

अत: अपीलार्थी के प्रति नरमाई का रुख अपनाते हुए अपीलार्थी की अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध विवादित भूमि से बेदखल करने व जुर्माना आरोपित करने के पारित निर्णय/आदेश दिनांक 26.9.2019 को यथावत बहाल रखते हुए सिविल कारावास की सजा के बिन्दु पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस तथ्य की पहले जांच करे कि विवादित भूमि के मौके पर अपीलार्थी का कब्जा है अथवा नही? यदि विवादित भूमि के मौके पर अपीलार्थी का कब्जा नही है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध सिविल कारावास की सजा का पारित आदेश निरस्त रहेगा, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णय की नियमानुसार पालना करायेगा। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अति. जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2019.12.23 18:39:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: